प्रकरण संख्या 11/2021 किशनलाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पछमता में प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी नंबर 239, 243, 250 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी की आराजी नंबर 239 रास्ते के समीप स्थित होकर उसके दक्षिण में विपक्षीगण की आराजी नंबर 241 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि एवं रास्ता स्थित है, जिसके दक्षिण पश्चिम में आ.चाह संख्या 242 रकबा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी व विपक्षीगण के अलावा अन्य हिस्सेदारों के संयुक्त खातेदारी की है। उक्त कुएं की भूमि के दक्षिण पश्चिम में प्रार्थी की आराजी नंबर 243 एवं दक्षिण पूर्व में आराजी नंबर 250 स्थित है। प्रार्थी मुख्य रास्ते से अपनी आराजी नंबर 239 में प्रवेश करते हुए विपक्षीगण की आराजी नंबर 241 के उत्तर पूर्व दिशा में होकर इस आराजी के पश्चिमी पाली के सहारे आ.चाह संख्या 242 की छुटट में होकर प्रार्थी अपनी आराजी नंबर 243 व 250 में आता जाना है जो करीब 15 फिट चौड़ा है, जिसका उपयोग वे वर्षो से करते चले आ रहे हैं तथा इसी रास्ते से हल, बैल आदि लाते ले जाते हैं। अब विपक्षीगण उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकियां देते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी की आराजी नंबर 243 एवं 250 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नंबर 241 के उत्तर पश्चिम दिशा से पश्चिमी पाली के सहारे आराजी नंबर 242 तक 15 फिट रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे। विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में आराजी नंबर 239 के पूर्वी पाली के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर कदीमी रास्ता उपलब्ध था, जिसे प्रार्थी स्वयं ने बन्द कर दिया है [illegible] तथ्यों को छुपाकर रास्ते बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–01–2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट के पास काफी कम भूमि है यदि उसमें से 15 फिट रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्ट के पास काफी कम जमीन बचेगी, जिससे उसे आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट बनायी गयी है, वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायी गयी है। रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् निर्णय पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस [illegible] कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायाल[illegible] मौका रिपोर्ट के आधार पर अपने संक्षिप्त निर्णय में केवल यह अंकित किया है

कि ''प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।'' उक्त कथनों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टगण की खातेदारी की आराजी नंबर 241 में से रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। क्योंकि उक्त रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। इसके अलावा रास्ते बाबत् आदेश रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर दिये जाने का प्रावधान है, जिसके बारे में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारों की उपस्थिति में मौके की रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रकरण में रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने बाबत् साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.01.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन सहायक अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested